न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
श्रीमती मधु खरे
सदस्य
पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 228–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 6.11.2013 पारित द्वारा तत्का.सदस्य,राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर – प्रकरण कमांक 3995–II/2012

राजाभैया पुत्र चंदनसिंह यादव
अवयस्क व्दारा सरपरस्त पिता
चंदन सिंह यादव गाम बण्डा
तहसील पिछोर जिला शिवपुरी ---आवेदक
विरूद्ध
मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर ---अनावेदक

(श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक – आवेदक)
(श्री डी0के0शुक्ला अभिभाषक – अनावेदक)

आ दे श

(आज दिनांक 01 –10– 2015 को पारित)

तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 3995–II/2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6.11.13 के विरूद्ध यह पुनरावलोकन म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बण्डा स्थित भूमि सर्वे कमांक 381 रकबा 0.41 हैक्टर , 384 रकबा 0.44 हैक्टर, 385 रकबा 0.71 हैक्टर, 404 रकबा 0.24 हैक्टर भूदान यज्ञ बोर्ड की भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) थी, जो पटटे पर दी गई थी एंव शासकीय अभिलेख में विकय से बर्जित दर्ज थी इसके वाद भी पटटाधारी ने भूमि का सक्षम स्वीकृति के बिना विकय कर दिया। इस तथ्य के अभिज्ञान में आने पर कलेक्टर शिवपुरी ने स्वमेव निगरानी प्र. कमांक 92/2007–08 दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 13.02.2009 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पुनः मूलरूप में परिवर्तितकर शासकीय दर्ज करने का निर्णय लिया। इस आदेश के

विरूद्ध आवेदक ने राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की। तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 6-11-2013 पारित किया तथा कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 13.2.2009 को यथावत् रखते हुये निगरानी खारिज कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध पुनरावलोकन आवेदन दिया गया है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमिस्वामी पतुआ पुत्र फुलुआ कोरी से एंव महिला दिरो विधवा पत्नि उद्दा जाटव से पंजीकृत विक्रय पत्र से वादग्रस्त भूमि क्रय की गई है जिस पर आवेदक का नामान्तरण भी हो चुका है । आवेदक व्दारा निगरानी में उठाई गई समस्त आपत्तियों पर विचार कर निर्णय नहीं किया गया है। विक्रेतागण को सूचना न दिये जाने की आपत्ति पर विचार एंव निर्णय नहीं हुआ। भूदान यज्ञ बोर्ड निरसित हो चुका है। विक्रय से संहिता की धारा 165 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने की मांग रखी। अनावेदक के अभिभाषक ने तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 6-11-2013 एंव कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 13.2.09 को यथावत् रखने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव निग.प्र.क. 3995-II/2012 में पारित आदेश दि. 6.11.13 के अवलोकन पर पाया गया कि म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये तीन आधार बताये गये है :-

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की सकती थी।
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

विचाराधीन प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक उक्त में से पुनरावलोकन का कोई भी आधार पुष्ट नहीं कर सके हैं कि तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल व्दारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3995-II/2012 में आदेश दिनांक 6.11.13 पारित करने के पूर्व वह कोई महत्वपूर्ण अभिलेख अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं अथवा दिनांक 6.11.13 पारित करते समय कोई अभिलेखीय भूल या गलती हुई है। विचाराधीन मामला भूदान यज्ञ बोर्ड (भूदान यज्ञ बोर्ड समाप्ति उपरांत लागू संहिता के नियम) व्दारा दिये गये पटटे की विक्रय से बर्जित भूमि सक्षम अनुमति के बिना विक्रय होने वावत् है विक्रेता पतुआ पुत्र फुलुआ कोरी एंव महिला दिरो पत्नि स्वर्गीय उद्दा जाटव दोनों ही अनुसूचित जाति के हैं इस सम्बन्ध में कलेक्टर शिवपुरी ने स्वमेव निगरानी प्र.क्र. 92/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2009 तथा तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3995-II/ 2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6.11.13 में विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष निकाले हैं एंव दोनों न्यायालय व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती होने से विचाराधीन पुनरावलोकन प्रकरण में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 6-11-13 में हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3995-II/ 2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6.11.13 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः पुनरावलोकन आवेदन इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर